फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रूकमणी देवी बनाम रामस्वरूप वगै0

ा नं0 :–71 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.05.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 5 व 6 अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
23.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 के सहमति प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम जयसिहपुरा, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 0.4300है0, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.8400है0, खसरा नम्बर 170 / 251 रकबा 0.0200है0 कुल किता 3 कुल रकबा2. 2900है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	